

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-27/2013-49 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 01-07-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

कृषि रोड़ मैप अंतर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत मत्स्यकी/कृषि अभियंत्रण/गव्य प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) प्रदान करने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक कुल 405.00 लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा वर्ष 2013-14 में 40.50 लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति के अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 25.50 लाख रुपये (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये) सहायक अनुदान मद में निकासी तथा व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹25,50,000 (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-2990 दिनांक-12.06.2013 द्वारा कृषि रोड़ मैप अंतर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत मत्स्यकी/कृषि अभियंत्रण/गव्य प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) प्रदान करने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक कुल 405.00 लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा वर्ष 2013-14 में 40.50 लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति के अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 25.50 लाख रुपये (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये) सहायक अनुदान मद में निकासी तथा व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹25,50,000 (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹25,50,000 (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-P2415012770108, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित ₹5.00 करोड़ रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रिजि०

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

49 (भाषांतर)

/कृ०, पटना, दिनांक 01-07-2013

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक

49 (भाषांतर)

/कृ०, पटना, दिनांक 01-07-2013

- प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।



  
सरकार के संयुक्त सचिव।